कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

रेलवे अस्पताल के सामने, रातानाडा, जोधपुर – 342001

email- jdajodhpur@yahoo.com वेब–साईट jodhpurjda.org Phone No. 0291-2612086/2656355-7 Fax 021-2612086

क्रमांक/बैठक/2015/1801/VI/1/41-73 दिनांक 20 अप्रैल, 2015

बैठक कार्यवाही विवरण

जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर की बैठक दिनांक 17 अप्रैल, 2015 को अपरान्ह 12.00 बजे (डॉ.) प्रीतम बी. यशवंत, संभागीय आयुक्त एवं अध्यक्ष, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में उपस्थित सदस्यों/अधिकारियों की सूची परिशिष्ट–1 पर संलग्न है।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिये गयेः–

प्रस्ताव संख्या 1 :: गत बैठक दिनांक 11 अगस्त, 2014 में लिये गये निर्णयों की पुष्टि

प्राधिकरण की गत बैठक दिनांक 11 अगस्त, 2014 का कार्यवाही विवरण जारी हो चुका है। अतः बैठक में लिये गये निर्णयों की पुष्टि हेतु प्रकरण प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत हुआ।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से गत बैठक दिनांक 11 अगस्त, 2014 में लिये गये निर्णयों की पुष्टि करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 2 :: प्राधिकरण के आय व्ययक अनुमान वर्ष 2015–16 का अनुमोदन एवं वर्ष 2014–15 के वार्षिक व्यय की स्वीकृति।

प्राधिकरण के आय व्ययक अनुमान वर्ष 2015–16 एवं वर्ष 2014–15 के वार्षिक व्यय निदेशक–वित्त द्वारा तैयार किया गया है। जो परिशिष्ट–2 पर संलग्न है। अतः प्राधिकरण के आय व्ययक अनुमान वर्ष 2015–16 का अनुमोदन एवं वर्ष 2014–15 के वार्षिक व्यय की स्वीकृति हेतु प्रकरण प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत हुआ।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्तानुसार प्रस्तावानुसार परिशिष्ट–2 पर संलग्न प्राधिकरण के आय व्ययक अनुमान वर्ष 2015–16 एवं वर्ष 2014–15 के वार्षिक व्यय का अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 3 :: नवीन योजनाएं

प्राधिकरण क्षेत्राधिकार में निम्नलिखित भूमियों पर नवीन योजनाएं बनायी जानी प्रस्तावित है। जिनका विवरण निम्नानुसार हैः–

1– ग्राम सालावास खसरा संख्या 90/10 रकबा 5–12 बीघा, खसरा संख्या 90/11 रकबा 8–00 बीघा, खसरा संख्या 90/12 रकबा 8–00 बीघा, खसरा संख्या 90/13 रकबा 14–10 बीघा, खसरा संख्या 90/14 रकबा 15–00 बीघा, खसरा संख्या 90/5 रकबा 14–18 बीघा, खसरा संख्या 90/6 रकबा 5–10 बीघा, खसरा संख्या 90/7 रकबा 5–05 बीघा, खसरा संख्या 90/8 रकबा 11–02 बीघा, खसरा संख्या 90/9 रकबा 31–00 बीघा, खसरा सख्या 90 रकबा 8–19–04 बीघा कुल 11 खसरों की कुल रकबा 117–16–04 बीघा भूमि पर फार्म हाऊस योजना

2— ग्राम कैरू के खसरा संख्या 812 रकबा 1429-15 बीघा भूमि पर ग्रुप—हाऊसिंग एवं आवासीय योजना

3— ग्राम कैरू खसरा संख्या 1256 रकबा 284—11 बीघा आवासीय योजना

4— ग्राम बासनी तम्बोलिया खसरा संख्या 7 रकबा 33—09 बीघा, खसरा संख्या 7/1 रकबा 38—04 बीघा पर आवासीय योजना

उपरोक्त भूमि का सर्वे कार्य पूर्ण करवाया जाकर प्रचलित मास्टर प्लान के अनुरूप ले—आऊट प्लान पारित किया जाकर अग्रिम कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित है। अतः प्रकरण प्राधिकरण के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत हुआ।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्तावानुसार प्रस्तावित योजना लागू करने की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान करने का निर्णय लिया गया तथा प्रस्तावानुसार भूमि का सर्वे कार्य पूर्ण करवाया जाकर प्रचलित मास्टर प्लान के अनुसार ले—आऊट प्लान एवं अन्य कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 4 :: बैंक ओवरड्राफ्ट की सीमा रूपये 60.00 करोड से 80.00 करोड करने के संबंध में।

प्राधिकरण में विकास कार्यों के बकाया भुगतान करने हेतु अध्यक्ष महोदय के निर्देशानुसार राशि की व्यवस्था की जानी है। प्राधिकरण की वित्तीय स्थिति ठीक नहीं होने के कारण भुगतान की तत्कालीन आवश्यकता को देखते हुए बैंक की ओवर ड्राफ्ट लिमिट रूप्ये 60.00 करोड से 80.00 करोड करने का प्रस्ताव अध्यक्ष महोदय के ध्यान में लाया तथा मार्च, 2013 मैं बैंक ऑफ महाराष्ट्रा/ एसबीबीजे/ इण्डसइण्ड बैंक/ एक्सिस बैंक से ओवर ड्राफ्ट लेने के प्रस्ताव लिये गये।

बैक ऑफ महाराष्ट्रा ने सबसे पहले 20 करोड़ की ओवर ड्राफ्ट देने की स्वीकृति का प्रस्ताव दिया जिसको जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर से स्वीकार कर राशि प्राप्त कर ली गई तथा संवेदकों को भुगतान कर दिया गया। कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 12.09.2014 के एजेण्डा सख्या 05 में इसको स्वीकृत कर प्राधिकरण से अनुमोदन कराने का निर्णय किया गया। अतः बैक ऑफ महाराष्ट्रा से लिये गये ओवर ड्राफ्ट यानि रूपये 60 करोड़ से रूपये 80 करोड़ की कार्योत्तर स्वीकृति हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से प्रस्तावानुसार कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 5 :: नगर निगम, जोधपुर को हस्तान्तरित की जाने वाली कॉलोनियों के संबंध में।

प्राधिकरण क्षेत्र में राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम की धारा 90—ए/बी के तहत अनुमोदित विकसित कॉलोनियां जो नगर निगम, जोधपुर के क्षेत्राधिकार में आती है, को नगर निगम, जोधपुर को मय भूमि एवं मूल रेकर्ड के हस्तान्तरित किया जाना प्रस्तावित है। इस संबंध में उपायुक्त—उत्तर एवं उपायुक्त—पश्चिम द्वारा तेयार की गयी सूची संलग्न (परिशिष्ट—3) है। नगर निगम के 65 वार्ड क्षेत्रों में समय समय पर प्राधिकरण द्वारा जो विकसित कॉलोनियां हस्तान्तरित की जावेगी। इस हेतु आयुक्त, प्राधिकरण की अध्यक्षता में स्टेण्डिंग कमेटी का गठन किया जाना प्रस्तावित है। उक्त कमेटी में नगर निगम का नोडल अधिकारी, उप नगर नियोजक एवं संबंधित अधिशाषी अभियन्ता सदस्य होंगे तथा संबंधित उपायुक्त सदस्य सचिव होंगे।

कॉलोनियों का हस्तान्तरण उस दिन से लागू होगा जब संयुक्त हस्ताक्षर से रेकर्ड से संबंधित सूची का आदान प्रदान हो जाएगी। अत. प्रकरण प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत हुआ।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से प्राधिकरण क्षेत्र में राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की धारा 90–ए/बी के तहत अनुमोदित विकसित कॉलोनियों के साथ नगर विकास न्यास, जोधपुर/जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर द्वारा विकसित कॉलोनियों को भी नगर निगम, जोधपुर को हस्तान्तरित करने की सैद्धान्तिक सहमति प्रदान करने का निर्णय लिया तथा उपरोक्त प्रस्तावानुसार स्टेण्डिंग कमेटी का गठन करने का निर्णय लिया गया। उक्त समिति समय समय पर हस्तान्तरित की जाने वाली कॉलोनियों के समस्त रिकार्ड मय समस्त सम्पत्ति एवं दायित्व के हस्तान्तरित करने के संबंध में निर्णय लेकर नगर निगम, जोधपुर को हस्तान्तरित करेगी।

प्रस्ताव संख्या 6 :: भूखण्ड संख्या 44, बालसमंद योजना के बदले अन्य भूखण्ड आवंटन संबंध में।

श्री दीनदयाल दाधिच ने माननीय जिला उपभोक्ता संरक्षण मंच, जोधपुर में प्रकरण संख्या 870/2010 प्रस्तुत कर तत्कालीन नगर विकास न्यास, जोधपुर द्वारा उन्हें नीलामी में आंवटित भूखण्ड संख्या 44 बालसमंद योजना का कब्जा सुपुर्द करने की मांग की है।

तत्कालीन नगर विकास न्यास, जोधपुर द्वारा दिनांक 11 जून, 1989 को जरिये नीलामी भूखण्ड संख्या 44 बालसमंद योजना रूपये 193.13 प्रति वर्ग गज की दर से श्री दीनदयाल दाधिच पुत्र श्री जेठाराम निवासी रणसीगांव वाया पीपाडशहर जिला जोधपुर को नीलाम किया गया था। श्री दाधिच द्वारा पूर्ण राशि जमा करवाये जाने के उपरान्त उन्हें नीलाम किये गये भूखण्ड का भौतिक कब्जा नहीं दिये जाने के कारण श्री दाधिच द्वारा माननीय जिला उपभोक्ता संरक्षण मंच में प्रकरण प्रस्तुत करने पर माननीय मंच द्वारा दिनांक 9 अक्टूबर, 2013 द्वारा निर्णय पारित किया गया कि निर्णय तारीख से दो माह के भीतर बालसमंद योजना के भूखण्ड संख्या 44 का पट्टा परिवादी के पक्ष में जारी करे व उसका कब्जा परिवादी को देवे। यदि ऐसा किया जाना संभव नहीं हो तो अप्रार्थीगण (जोधपुर विकास प्राधिकरण) परिवादी को जोधपुर में किसी विकसित येाजना में विवादित भूखण्ड के ही नाप व कीमत का भूखण्ड परिवादी को सुपुर्द कर उसका पट्टा जारी करें व भौतिक कब्जा देवे। इसके अलावा परिवादी को मानसिक क्षति पेटे 7,000/– रूपये तथा परिवाद व्यय पेटे 3,000/– रूपये कुल 10,000/– रूपये भी अदा करें।

माननीय मंच के उक्त आदेश के विरूद्ध माननीय राज्य आयोग, सर्किट बैंच, जोधपुर में प्राधिकरण द्वारा अपील प्रस्तुत की गयी है। जिसमें माननीय राज्य आयोग, सर्किट बैंच, जोधपुर अपील संख्या 322/13 में दिनांक 9 जनवरी, 2014 को निर्णय पारित किया कि परिणामतः जिला मंच, जोधपुर के परिवाद संख्या 870/2010 में पारित आदेश दिनांक 9 अक्टूबर, 2013 की पुष्टि करते हुए अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है। अपीलार्थी ने अपील पेश करते समय जो राशि जमा करवाई है वह मय अर्जित लाभ के परिवादी को दी जावे, शेष पालना के लिए अपीलार्थीगण को आज से एक माह का समय दिया जाता है।

माननीय मंच के उक्त आदेश 9 अक्टूबर, 2013 की पालना नहीं होने पर परिवादी श्री दाधिच द्वारा अवमानना याचिका प्रस्तुत की है। जिस पर माननीय मंच द्वारा श्रीमती अज़रा परवीन वर्तमान सचिव को जरिये जमानती वारण्ट दिनांक 1 अप्रैल, 2015 को तलब किया गया। दिनांक 1 अप्रैल, 2015 को माननीय मंच द्वारा प्रकरण में सुनवाई कर आगामी सुनवाई तिथि 25 मई, 2015 नियत की है।

इस संबंध में वस्तुस्थिति यह है कि उक्त बालसमंद योजना नगर निगम, जोधपुर को हस्तान्तरित की जा चुकी है। संबंधित भूखण्ड की पत्रावली भी नगर निगम, जोधपुर को

हस्तान्तरित की जा चुकी है तथा वर्तमान में उक्त पत्रावली निगम कार्यालय में उपलब्ध है। उक्त योजना नगर निगम, जोधपुर को हस्तान्तरित होने से उक्त क्षेत्र में वर्तमान में प्राधिकरण की कोई अधिकारिता नहीं रह जाती है। अतः प्रकरण प्राधिकरण के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत हुआ।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि माननीय मंच के आदेश की पालना में आवंटी को राजीव गांधी आवासीय नगर योजना में समकक्ष भूखण्ड प्राधिकरण द्वारा दिये जाने का निर्णय लिया गया। साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि भविष्य में नगर निगम, जोधपुर को हस्तान्तरित की जाने वाली कॉलोनियों में कितनी सम्पत्तियॉ एवं कितने दायित्व का हस्तान्तरित किया जा रहा है, का स्पष्ट उल्लेख करते हुए किया जावे। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि हस्तान्तरित की जाने वाली कॉलोनियों में स्थित रिक्त भूखण्डों की सूची भी दी जावे। समानान्तर प्रकरणों में माननीय न्यायालय के आदेश की पालना में प्रकरणवार भूखण्ड दिये जाने के संबंध में निर्णय लिया जावे।

प्रस्ताव संख्या 7 :: निजी सचिव का पद सृजन

राज्य सरकार की आज्ञा क्रमांक प. 4 (15) नविवि/II/08 दिनांक 25 मार्च, 2009 द्वारा प्राधिकरण में आयुक्त के लिए निजी सचिव का एक पद एवं सचिव के लिए वरिष्ठ निजी सहायक का एक पद, निजी सहायक के 5 पद 4 निदेशकों हेतु 1 अतिरिक्त आयुक्त हेतु पद सृजित किये हैं, जबकि अध्यक्ष महोदय हेतु कोई पद सृजित नहीं किया है। अध्यक्ष महोदय हेतु एक निजी सचिव का पद सृजित किया जाना उचित होगा। अतः पद सृजन के संबंध में निर्णय लेने हेतु प्रकरण प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत हुआ।

बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से प्रस्तावानुसार अध्यक्ष महोदय के लिए निजी सचिव का पद सृजित करने का निर्णय लिया गया। पद सृजन की अधिकारिता राज्य सरकार में निहित है। अतः प्राधिकरण की अनुशंषा के साथ अध्यक्ष महोदय के लिए निजी सचिव का पद सृजित करने हेतु राज्य सरकार को निवेदन करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 8 :: कम्प्यूटराईजेशन हेतु नवीन पदों का सृजन

जोधपुर विकास प्राधिकरण,जोधपुर कम्प्यूटराईजेशन का कार्य प्रगति पर है। माननीया मुख्यमंत्री महोदया द्वारा की गई बजट घोषणा में भी व्यापक कम्प्यूटरीकरण करवाये जाने का लक्ष्य रखा है, साथ ही विभिन्न ऑन लाईन (On line) सेवाएँ शुरू करने के निर्देश दिये गये है। वर्तमान में प्राधिकरण में लैण्ड बैक डाटा का डिजिटलाइजेशन, आवासीय योजनाओं के ऑनलाईन आवेदन व्यवस्था, ऑनलाईन लॉटरी, ई–ऑक्सन इत्यादि कार्यो का सम्पादन किया जाना प्रस्तावित है। अब तक एन.आई.सी (NIC) के माध्यम से अकाउण्टिंग सिस्टम, प्रत्रावली स्केनिंग सिस्टम, एकल खिडकी मोनीटंरिग सिस्टम, ऑनलाईन टेण्डर व्यवस्था, 90 ए का साफ्टवेयर, प्रोपर्टी रजिस्टर आदि साफ्टवेयर तैयार किये गये है। अतः वर्तमान में उपलब्ध साफ्टवेयर का सुचारू संचालन एवं प्रस्तावित योजनाओं के साफ्टवेयर की तैयारी एवं संचालन हेतु प्राधिकरण में सूचना एवं प्रोद्यौगिकी कॉडर (IT Cadre) के पदो के सजृन की आवश्यकता है।

वर्तमान में विकास कार्यो के साफ्टवेयर्स का संचालन एन.आई.सी (NIC) के माध्यम से और कुछ कम्प्यूटर मय ऑपरेटर संवेदक के माध्यम से किये जा रहे हैं। लेकिन संवेदक द्वारा उपलब्ध कराये गये ऑपरेटर अनियमित एवं पूर्ण रूपेण प्रशिक्षित नही होने के कारण साफ्टवेयर संचालन एवं दैनिक कार्यो में बहुत ज्यादा असुविधा रहती है। अतः जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर की भांति जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर में सूचना एवं प्रोद्यौगिकी संवर्ग (IT Cadre) के पदों का सृजन अति–आवश्यक है। जिसका विवरण निम्नानुसार है।

क.स	नाम व पद	संख्या	औचित्य
1.	सिस्टम एनालिस्ट (संयुक्त निदेशक) System Analyst (Joint Direct) वेतन श्रृंखला 15600–39100 (7200)	01	सूचना एवं प्रोद्यौगिकी संवर्ग का प्रशासिक नियन्त्रण एवं प्राधिकरण की आवश्यकता नुसार नये साफ्टवेयरो का निर्माण
2.	एनालिस्ट–कम–प्रोग्रामर (उपनिदेशक) Analyst-Cum Programmer Dy-Director वेतन श्रृंखला 15600–39100 (6600)	01	प्राधिकरण में एक पद पहले से ही स्वीकृत है। लेकिन कार्य की आवश्यकता को देखते हुए राजस्व शाखा, आयोजना शाखा, अभियांन्त्रिकी शाखा, प्रशासनिक शाखा एवं विधि शाखा, के कार्यो की अधिकता को देखते हुए एक अतिरिक्त पद की आवश्यकता है।
3.	प्रोग्रामर (Programmer) वेतन श्रृंखला 9300–34800 (4200)	06	प्राधिकरण के सभी शाखाओं में ऑनलाईन सेवाएँ विभाजित करना एवं संचारण करना
4.	जी आई एस (विशेषज्ञ) (GIS Expert) वेतन श्रृंखला	03	आयोजना शाखा में योजना तैयार के लिए (Geo- Referencing) राजस्व शाखा में लैण्ड बैंक के कार्य का सम्पादन एवं का समन्यव हेतु
5.	नेट वर्क इंजिनियर वेतन श्रृंखला 15600– 39100 (5400)	02	प्राधिकरण में स्थानीय नेटवर्क की स्थापना व समन्वित साफ्टवेयर प्रर्यवेक्षण कार्य
6.	सहायक प्रोग्रामर Assistant Programmer वेतन श्रृंखला 9300–34800 (3200)	08	विकास कार्यो, ई–टेण्डरिंग,ई–ऑक्शन,ऑन लॉइन आवेदन,ऑन–लाईन लॉटरी इत्यादि कार्यो में सहायक के रूप में कार्य संचालन
7.	सूचना सहायक Informatics Assistant (I A) वेतन श्रृंखला (5200–20200) (2400)	33	समस्त साफ्टवेयर का संचालन,विकास शाखा,राजस्व शाखा, आयोजना शाखा, विधि शाखा,स्थापना शाखा, में कम्प्यूटर संचालन एवं प्रत्रावलियों का रखरखाव कार्य हेतु तथा वर्तमान में संविदा के माध्यम से लिये जा रहे कम्प्यूटर ऑपरेटर के स्थान पर कार्य

अतः प्रकरण प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत हुआ।

बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से प्रस्तावानुसार पद सृजित करने का निर्णय लिया गया। पद सृजन की अधिकारिता राज्य सरकार में निहित है। अतः प्राधिकरण की अनुशंषा के साथ पद सृजित करने हेतु राज्य सरकार को निवेदन करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 9 :: पण्डित दीनदयाल उपाध्याय नगर बासनी तम्बोलिया के शेष आवासों के संबंध में।

2

नगर विकास न्यास, जोधपुर जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर द्वारा वर्ष 2012 में पण्डित दीनदयाल उपाध्याय नगर बासनी तम्बोलिया में स्वच्छकारो हुडको निर्मित आवास गृहो की लॉटरी निकाली गई थी। लेकिन किसी कारणवश स्वच्छकारो द्वारा आवंटित आवासो की राशि जमा नही कराई गई। इस योजना के अन्तर्गत कुल ई.डब्लू.एस./एल.आई.जी.एच के 507 आवासो का निर्माण किया गया। न्यास द्वारा इस योजना में 67 आवास नीलामी द्वारा विक्रय किये गये। वर्ष 2008–09 में 200 आवासो की लॉटरी निकाली गई जो 120 मासिक किश्तो में दिये गये थे। जिसमें से 173 आवंटित किये गये है। उक्त रिक्त आवासो को जेल विभाग द्वारा बंदी शिविर हेतु भी चाहा जा रहा है। जिसके सम्बन्ध में कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 11.03.2015 में यह निर्णय हुआ कि निलामी में लिये गये गृहो तथा आवंटित गृहो के बीच–बीच में खाली गृह है। ऐसी स्थिति में सामाजिक दृष्टिकोण से खुली जेल के लिए यह गृह देना उपयुक्त नही रहेगा फिर भी यदि राज्य सरकार के स्तर पर व्यापक हित में कोई निर्णय लिया जाता है। तो तदनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा कार्यवाही की जा सकेगी। अतः शेष 267 आवासो की निस्तारण हेतु प्रकरण प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत हुआ।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से प्रस्ताव में वर्णित 267 आवासगृहों का निस्तारण जरिये आवंटन किये जाने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 10 :: प्राधिकरण अधिनियम की धारा 67 एवं धारा 31 से 35 संबंधित उपायुक्त के साथ साथ जोन तहसीलदार को प्रदान करने के संबंध में।

जोधपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम की धारा 67 एवं धारा 31 से 35 की शक्तियां वर्तमान में जोन उपायुक्त को प्रदत्त है। उपायुक्तगण अन्य कार्यों में व्यस्त होने के कारण एवं अवकाश पर होने के कारण प्रकरणों के निस्तारण में समय लग जाता है। अतः उक्त शक्तियां जोन उपायुक्त के साथ साथ संबंधित जोन तहसीलदार को प्रदत्त किया जाना प्रस्तावित है। अतः प्रकरण प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत हुआ।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्तावानुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम की धारा 67 एवं धारा 31 से 35 की शक्तियां उपायुक्तगण के साथ साथ जोन तहसीलदार को प्रदत्त किये जाने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 11 :: जोधपुर विकास प्राधिकरण (जब्तसुदा माल की कस्टडी एवं निस्तारण) विनियम 2014 के नियम 6 (2) की शक्तियां प्रदान करने के संबंध में।

जोधपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम के तहत बने विनियम जोधपुर विकास प्राधिकरण (जब्तसुदा माल की कस्टडी एवं निस्तारण) विनियम, 2014 के नियम – 6(2) के तहत संबंधित जोन के उपायुक्त एवं तहसीलदार को सक्षम अधिकारी की शक्तियां प्रदान किया जाना प्रस्तावित है। अतः प्रकरण प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत हुआ।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्ताव का अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 12 :: न्यायिक प्रकरणों में प्रभारी अधिकारी बनाये जाने के संबंध में।

जोधपुर विकास प्राधिकरण के विरूद्ध विभिन्न न्यायालयों में दायर होने वाले परिवादों में माननीय उच्च न्यायालय में दायर याचिकाओं में प्रभारी अधिकारी संबंधित जोन के उपायुक्त अथवा संबंधित निदेशक को बनाया जावे तथा माननीय उच्च न्यायालय के अतिरिक्त अधीनस्थ

2

न्यायालयों में प्रभारी अधिकारी संबंधित जोन के तहसीलदार अथवा संबंधित जोन के अधिशाषी अभियन्ता को बनाया जाना प्रस्तावित है। अतः प्रकरण प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत हुआ।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्ताव का अनुमोदन करते हुए प्रस्तावानुसार कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 13 :: नाम हस्तान्तरण पत्र जारी करने हेतु तहसीलदार को अधिकृत किये जाने के संबंध में।

जोधपुर विकास प्राधिकरण में नाम हस्तान्तरण पत्र जारी करने एवं उस पर निर्णय लेने का कार्य वर्तमान में जोन उपायुक्तगण के पास है। जोन उपायुक्तगण अन्य कार्यों में व्यस्त रहने के कारण नाम हस्तान्तरण पत्र जारी करने एवं उस पर निर्णय लेने हेतु संबंधित जोन तहसीलदार को अधिकृत किया जाना प्रस्तावित है। अतः प्रकरण प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत हुआ।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्ताव का अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 14 :: विभिन्न जोन में अधूरे पडे विकास कार्यों को यथा स्थिति में समाप्त/विड्रा करने बाबत।

विभिन्न जोनों के अन्तर्गत जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा करवाये जा रहे भवन एवं अन्य विकास कार्य जो अधूरे है। संलग्न सूची अनुसार कार्यों की समयावधि भी समाप्त हो चुकी है। प्राधिकरण की वित्तीय स्थिति को मध्यनजर रखते हुए इन विकास कार्यों को यथास्थिति में अन्तिम बिल बनाकर कार्यों को समाप्त किया जाना प्रस्तावित है। इनक कार्यों में से काफी संवेदक बाजार दर बढने एवं राशि का समय पर भुगतान नहीं होने के कारण कार्य करने में असमर्थता जाहिर की है। अतः संलग्न सूची (परिशिष्ट–4) अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर हित में अनुबंध के तहत यथास्थिति में अन्तिम बिल बनाये जाने की स्वीकृति हेतु प्रकरण प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत है। उक्त कार्य यदि आवश्यक हुए तो वित्तीय संसाधन उपलब्ध होने पर नये सिरे से स्वीकृति प्राप्त कराये जाने प्रस्तावित है। प्रकरण प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत हुआ।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्ताव का अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 15 :: प्राधिकरण द्वारा यातायात पुलिस विभाग को उपलब्ध करायी गयी दो क्रेन की समयावधि बढाने के निर्णय के संबंध में।

तत्कालीन नगर सुधार न्यास के समय अक्टूबर 2006 से दो क्रेन पुलिस विभाग को देने का निर्णय हुआ था। तब से आदिनांक तक लगातार पुलिस विभाग को दो क्रेन, अनुबंध पर उपलब्ध करवाई जा रही है। उक्त क्रेन तत्कालीन समय में पुलिस विभाग में संसाधन अपर्याप्त होने के करण उपलब्ध कराई गई थी। लेकिन वर्तमान पुलिस कमिश्नरेट बनने के पश्चात् पुलिस विभाग में पर्याप्त संसाधन उपलब्ध है। पुलिस उपायुक्त मुख्यालय एवं यातायात जोधपुर द्वारा पत्राचार के जरीये क्रेन की आपूर्ति की मांग की जा रही है। उक्त क्रेन अब भी पुलिस विभाग के उपलब्ध करवायी जावें या नहीं, इस पर सक्षम निर्णयार्थ प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्ताव का अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया।

2

प्रस्ताव संख्या 16 :: मानसिक रोगियों के पुनर्वास एवं अस्पताल हेतु 25 बीघा भूमि ग्राम कैरू के खसरा संख्या 812 में भूमि आवंटन के संबंध में।

माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर में विचाराधीन डी.बी. (जनहित) पीटीशन सख्या 4537/13 रामरख व्यास बनाम राज्य सरकार व अन्य में दिनांक 23.09.2013 को माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा दिये गये निर्देशो की पालना में अतिरिक्त महाअधिवक्ता श्री आर.एल. जागिड के कक्ष में दिनांक 07.10.2013 को मथुरादास माथुर हॉस्पीटल के प्रशासनिक कार्य सचांलन के संबंध में मथुरादास माथुर हॉस्पीटल के प्रशासनिक अधिकारियों, अधीक्षंक एम.डी.एम जोधपुर, प्रिसिंपल मेडिकल कॉलेज, जोधपुर, निरीक्षण कमेटी के सदस्य, अतिरिक्त महा अधिवक्ता, पीडब्ल्यूडी अभियन्ता, पीएचडी अभियन्ता और जेडीवीवीएनएल अभियन्ता के मध्य सम्भागीय आयुक्त जोधपुर की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गयी। बैठक में विचार विमर्श पश्चात् बिन्दु संख्या 3 के पैरा 4 के अन्तर्गत मानसिक रोगियों के पुर्नवास (री–हैबलिटेशन) के लिये अलग से अस्पताल निर्माण के लिए आवश्यक भूमि आवंटन हेतु प्रस्ताव प्राधिकरण को प्रेषित करने का निर्णय लिया गया।

कार्यालय प्रधानाचार्य एवं नियन्त्रक डॉ. सम्पूणानन्द आयुर्विज्ञान महाविघालय एवं संलग्न चिकित्सालय समूह जोधपुर द्वारा मानसिक रोगियो के पुर्नावास (री–हैबलिटेशन) के लिये 30 हजार वर्ग मीटर भूमि आवंटन करने की मांग गयी। प्राधिकरण के पटवारी (पश्चिम) द्वारा प्राचार्य डॉ. सम्पूर्णानन्द मेडिक्ल महाविघालय जोधपुर एवं अधीक्षक एम.डी.एम अस्पताल के साथ ग्राम केरू के खसरा नं. 812 में स्थित जोधपुर विकास प्राधिकरण की भूमि मानसिक रोगियो के पुर्नावास हेतु 25 बीघा भूमि चिन्हीत की गयी। प्राधिकरण द्वारा पत्र क्रमांक एफ 49/आवंटन/पश्चिम/2013/382 दिनांक 06 दिसम्बर 2013 के जरिये प्रकरण संयुक्त शासन सचिव–तृतीय नगरीय विकास विभाग, जयपुर को मानसिक रोगियो के पुर्नवास एवं अस्पताल हेतु 25 बीघा भूमि निःशुल्क आवंटन करने की स्वीकृति प्रदान करने हेतु प्रेषित किया गया। अतः प्रकरण प्राधिकरण के समक्ष निःशुल्क आवंटन की स्वीकृति हेतु प्रेषित पत्र एवं प्रकरण में अब तक की गयी कार्यवाही के अनुमोदन हेतु प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत हुआ।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से प्रस्तावानुसार उपरोक्त प्रस्ताव का अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 17 :: नाम हस्तान्तरण शुल्क/बैचान अनुमति शुल्क के संबंध में।

रेकर्ड शाखा में 90–बी से पट्टा जारी होने के पश्चात् प्राप्त पत्रावलियों में पट्टाधारक व नाम हस्तान्तरणधारक कार्यालय में भूखण्ड के संबंध में बेचान अनुमति का आवेदन पेश करने एवं बेचान शुल्क जमा कराने के पश्चात् एवं बेचान अनुमति प्रमाण–पत्र जारी होने से पूर्व भूखण्ड का बेचान कर दिया जाता है तो प्रायः ऐसे प्रकरणों में नाम हस्तान्तरण का आवेदन प्राप्त होने पर प्रार्थी से बिना बेचान अनुमति की शास्ति/नाम हस्तान्तरण शुल्क लिया जावे अथवा नहीं। ऐसे प्रकरणों के संबंध में निर्णय लिया जाना है। अतः इस संबंध में निर्णय लिये जाने हेतु प्रकरण प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत हुआ।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति अगर प्रकरण में बेचान शुल्क जमा कराने के पश्चात् एवं बेचान अनुमति प्रमाण–पत्र जारी होने से पूर्व की समयावधि में भूखण्ड का बेचान कर दिया जाता है, तो ऐसे प्रकरण में बिना अनुमति बेचान की शास्ति/नाम हस्तान्तरण शुल्क नहीं लिये जाने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 18 :: लीज मुक्ति प्रमाण–पत्र जारी होने के पश्चात् हस्तान्तरण उपरान्त लीज वसूली के संबंध में।

2

भूखण्ड के बेचान होने पर उसकी लीज में 25 प्रतिशत वृद्धि की जाती है। लेकिन अगर भूखण्ड के एक मुश्त लीज जमा होने के पश्चात् अथवा लीज मुक्ति प्रमाण पत्र जारी होने के पश्चात् विक्रय होने पर लीज में वृद्धि की जावेगी अथवा भूखण्ड लीज मुक्त रहेगा। अतः इस संबंध में निर्णय लेने हेतु प्रकरण प्राधिकरण के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत हुआ।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्ताव में वर्णित प्रकरणों में लीज वसूली नहीं करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 19 :: अपराधिक प्रकरणों में निलम्बन एवं निलम्बन से बहाली के संबंध में।

प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक (क–3) विभाग, राज. जयपुर के पत्र क्रमांक प. 2(157)कार्मिक/क–3/97 दिनांक 07.07.2010 की पालना में लोक सेवकों के अपराधिक प्रकरणों में निलम्बन एवं निलम्बन से बहाली के संबंध में प्राप्त निर्देशों के क्रम में निलम्बन की तिथि से तीन वर्ष का समय व्यतीत हो जाने पर एवं न्यायालय में चालान भी प्रस्तुत कर दिया गया हो, तो ऐसे लोक सेवकों के प्रकरण बहाली के सम्बन्ध में निम्नानुसार समिति का गठन किया जाना है :–

01. आयुक्त महोदय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर – अध्यक्ष
02. निदेशक (वित्त), जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर – सदस्य
03. निदेशक (विधि), जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर – सदस्य
04. सचिव, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर – सदस्य
05. प्रभारी अधिकारी(स्थापना), जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर – सदस्य सचिव

उक्त समिति निलम्बित कार्मिक के संबंध में निर्णय कर निस्तारित करेगी। अतः समिति के गठन की प्रस्तावना है। अतः प्रकरण प्राधिकरण के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत हुआ।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्ताव का अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 20 :: पी.बी.एक्स ऑपरेटर की अवधिवृद्धि

कलक्टर कार्यालय जोधपुर के पत्रांक क्रमांक /नासुजो/पीबीएक्स/09/1520–21 दिनांक 21 अक्टूबर, 2009 द्वारा कलक्टर कार्यालय के पी.बी.एक्स (सिविल डिफेन्स कार्यालय) के दो ऑपरेटर का पारिश्रमिक का भुगतान प्राधिकरण कार्यालय से करने के आदेश प्रसारित किये गये तब से पारिश्रमिक का भुगतान किया जा रहा है। इसकी कार्योत्तर स्वीकृति तथा आगामी दो वर्ष हेतु अवधि वृद्धि की जाने हेतु प्रकरण प्राधिकरण के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत हुआ।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्ताव का अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 21 :: भैरव नाला निर्माण हेतु भूमि अवाप्ति बाबत।

पूर्वी पाल रोड योजना के पास स्थित शोभावतों की ढाणी, सुभाषनगर विस्तार, कर्मचारी कॉलोनी के पीछे स्थित कॉलोनियों के मध्य गुजर रहे भैरव नाले का निर्माण कार्य पूर्ण नहीं हो रहा है। उक्त नाले के आऊट लेट में मिलाने के लिए सर्वे कार्य करवाया गया जिसके अनुसार

2

भूमि अवाप्ति की कार्यवाही की जानी आवश्यक है। अतः भैरव नाला निर्माण हेतु आवश्यक भूमि अवाप्ति करने के संबंध में निर्णय लेने हेतु प्रकरण प्राधिकरण के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत हुआ।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से भैरव नाला निर्माण, हेतु प्राप्त ले–आऊट का निदेशक (अभियांत्रिकी) द्वारा तकनीकी परीक्षण करने के उपरान्त निर्माण हेतु आवश्यक भूमि अवाप्ति/खातेदारों की सहमति से भूमि समर्पण करवाने की कार्यवाही प्राधिकरण स्तर से करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 22 :: अवमानना प्रकरणों में विवादित भूखण्डों के स्थान पर अन्य भूखण्ड आवंटन बाबत।

प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं में आवंटियों को आवंटित भूखण्डों पर न्यायिक वाद/ अतिक्रमण/ मौके पर भूखण्ड होने/ दोहरे आवंटन/ सडक सीमा में आने आदि के कारण आवंटित भूखण्ड का कब्जा या लीज डीड आदि नहीं दिये जाने के कारण माननीय न्यायालयों में प्राधिकरण के अधिकारियों के विरूद्ध अवमानना प्रकरण विचाराधीन रहते है। भूखण्ड के विवादित आदि होने के कारण न्यायालय आदेश की पालना नहीं हो पाती है। अतः ऐसे अवमानना प्रकरणों में यदि विवादित भूखण्ड का आवंटन/ कब्जा आदि दिया जाना संभव नहीं हो तो ऐसे आवंटी को प्राधिकरण की राजीव गांधी योजना में पूर्व आवंटित विवादित भूखण्ड के स्थान पर समान मूल्य का नवीन भूखण्ड दिया जाना प्रस्तावित है। अतः प्रकरण प्राधिकरण के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत हुआ।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से प्रस्तावानुसार राजीव गांधी नगर योजना में संलग्न परिशिष्ट–5 में अंकित सूची अनुसार नवीन भूखण्ड दिये जाने का निर्णय लिया गया। भविष्य में ऐसे अवमानना प्रकरणों के विवादित भूखण्ड के स्थान पर अन्य योजना अथवा न्यायालय आदेशानुसार भूखण्ड देने हेतु आयुक्त अधिकृत होंगे। उक्त आवंटन का कार्यकारी समिति की बैठक में पश्चात्वर्ती अनुमोदन करवाया जावेगा। साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि मामा अचलेश्वर प्रसाद नगर योजना में दोहरे आवंटित भूखण्डों के संबंध में यह निर्णय लिया गया कि दोहरे आवंटी में से एक आवंटी को राजीव गांधी नगर आवासीय योजना में भूखण्ड आवंटित किया जावे।

प्रस्ताव संख्या 23 :: अनुबंध की धारा 23 के तहत स्टेडिंग कमेटी का गठन बाबत।

जोधपुर विकास प्राधिकरण में संवेदकों के कार्य अनुबंध राजस्थान सरकार द्वारा निर्धारित अनुबंध पर निष्पादित किये जा रहे है। कार्यो पर मौके पर संवेदक एवं विभाग में विवाद होने पर अनुबंध की धारा 23 के तहत स्टेडिंग कमेटी के समक्ष विवाद का निस्तारण किया जाता है। लेकिन राजस्थान सरकार के अनुबंध 23 में निम्न कमेटी हैः–

1. प्रशासनिक सचिव संबधित
2. वितिय सचिव या उनका प्रतिनिधि जो उपशासन सचिव या मुख्य लेखा अधिकारी
3. विधि सचिव या उनका प्रतिनिधि
4. मुख्य अभियंता एवं अतिरिक्त सचिव संबधित विभाग
5. मुख्य अभियंता संबधित विभाग

विवाद निस्तारण हेतु 2 प्रतिशत राशि संवेदकों को जमा करानी पड़ती है। इस कमेटी में RPWA90 के तहत प्रकरण प्रस्तुत किया जाता है। हॉल ही में अनुबंध की धारा 23 के तहत माननीय उच्च न्यायालय में काफी प्रकरण विचाराधीन है। संवेदक द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में आरबिटेशन के तहत आरबिटेटर नियुक्त करने के प्रकरण प्रस्तुत किये जा रहे।

2

अनुबंध की धारा 23 के तहत जयपुर विकास प्राधिकरण के कार्यालय आदेश क्रमांक एफ 8/जविप्रा/जोन अभि/A-1/D-912 दिनांक 23.04.2001 के तहत निम्नानुसार हैः–

1. आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
2. निदेशक अभियांत्रिकी, जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर।
3. निदेशक वित्त, जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर।
4. निदेशक विधि, जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर।
5. संबंधित सर्किल अभियन्ता, जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर।

अतः अनुबंध की धारा 23 के तहत जोधपुर विकास प्राधिकरण में विवादों के निस्तारण के लिये स्टेडिंग कमेटी का गठन जयपुर विकास प्राधिकरण की तर्ज पर निम्नानुसार गठन किया जाना प्रस्तावित हैः–

1. आयुक्त, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर – अध्यक्ष
2. निदेशक अभियांत्रिकी, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर – सदस्य
3. निदेशक वित्त, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर – सदस्य
4. निदेशक विधि, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर – सदस्य
5. अधीक्षण अभियन्ता (संबंधित जोन), जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर – सदस्य सचिव

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्तावानुसार कमेटी गठन करने का निर्णय लिया गया।

तत्पश्चात् बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

20/4/15
(अज़रा परवीन)
सचिव

क्रमांक/बैठक/2015/1801/VI/1)41–73 दिनांक 20 अप्रैल, 2015

प्रतिलिपिः–

01. अतिरिक्त शासन सचिव महोदय, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर
02. महापौर, नगर निगम, जोधपुर
03. जिला प्रमुख, जिला परिषद, जोधपुर
04. जिला कलक्टर महोदय, जोधपुर
05. संयुक्त शासन सचिव–तृतीय, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर
06. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, जोधपुर
07. मुख्य अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग, जोधपुर
08. प्रबन्ध निदेशक, जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जोधपुर
09. उप आवासन आयुक्त–प्रथम/द्वितीय, राजस्थान आवासन मण्डल, जोधपुर
10. वरिष्ठ नगर नियोजक/उप नगर नियोजक, जोधपुर जोन, जोधपुर
11. निजी सचिव (अध्यक्ष महोदय/आयुक्त महोदय), जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
12. निदेशक– अभियांत्रिकी/ नियोजन/ वित्त/ विधि, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

41-73
20/4/15

13. उपायुक्त–पूर्व / पश्चिम / उत्तर / दक्षिण, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
14. अधीक्षण अभियन्ता–प्रथम / द्वितीय / तृतीय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
15. एनालिस्ट–कम–प्रोग्रामर (उप निदेशक) जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर को आवश्यक कार्यवाही एवं वेबसाईट पर प्रदर्शन हेतु।
16. ....

20/4/15
(अज़रा परवीन)
सचिव

41-73
20/4/13

परिशिष्ट–1

(डॉ.) प्रीतम बी. यशवंत, संभागीय आयुक्त एवं अध्यक्ष, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर की अध्यक्षता में दिनांक 17 अप्रैल, 2015 को अपरान्ह 12.00 बजे आयोजित प्राधिकरण की बैठक में उपस्थित सदस्य/अधिकारियों का विवरण

1. श्री पूनाराम चौधरी, जिला प्रमुख, जोधपुर
2. श्री देवेन्द्र सालेचा, उपमहापौर, नगर निगम, जोधपुर
3. श्री प्रेमसुख शर्मा, अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जोधपुर
4. श्री आर.सी. मेहता, अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जोधपुर
5. श्री अविनाश सिंघवी, अधीक्षण अभियन्ता, (सी.सी.), जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जोधपुर
6. श्री नरेन्द्रसिंह चौहान, आयुक्त (मुख्यालय), नगर निगम, जोधपुर
7. श्री सुरेश व्यास, अधिशाषी अभियन्ता, नगर वृत, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जोधपुर
8. श्री गणपत दुग्गड, अधिशाषी अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जोधपुर
9. श्री एन.के. माथुर, सहायक अभियन्ता–नगर वृत, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जोधपुर
10. श्रीमती अज़रा परवीन, सचिव, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर (सदस्य सचिव)